तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर व तारीख की एवं हुक्म में जारी हुए
25/03/2026	पत्रावली पेश। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2074-77, विरासत नामान्तरण, राजस्व अभिलेखों, तहसीलदार रिपोर्ट व पूर्व की जमाबन्दियों आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व ग्राम भूरीपाड़ा प.ह. मोहकमपुरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित आराजी नंबर-124 का कुल रकबा 1.4892 हैक्ट. कुल लगान 0.6700 रु जोकि प्रार्थी व अन्य सहखातेदार उमेश (ना.) वगैरह की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि होकर के मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में स्वयं का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र मेहा जाति भील बताया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार पिता मेहा पुत्र वन्ता की मृत्यु के बाद वक्त नामान्तरण। विरासत अजीतसिंह पुत्र मेहा के स्थान पर एतरा पुत्र मेहा. दर्ज रिकार्ड किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना अनुसार गलत नाम एतरा पुत्र मेहा के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र मेहा दर्ज कर शुद्ध किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक होना बताया। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर करने के बाद तहसीलदार कुशलगढ़ से जांच रिपोर्ट ली गयी। भूमिधारी तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का अध्यापक होकर राजकीय सेवा में होना बताया है, परन्तु पत्रावली में अजीतसिंह नाम से राजकीय (राज्य सरकार) से संबंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अनुशंषा भी नहीं की गयी है कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है या नहीं। पत्रावली में प्रार्थी के द्वारा पात्रता सिद्ध करने हेतु सामान्य दस्तावेज (आधारकार्ड, पेन कार्ड, दसवीं की मार्कशीट) संलग्न है, जिसमें भी प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम भिन्न-भिन्न होना पाया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना-पत्र में शुद्धि हेतु दिया गया नाम अजीतसिंह परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से मिलान (मेल) नहीं खा रहा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के चार माह बाद 01.06.1981 से विरासत नामान्तरण से जमाबंदी संवत 2055-58 से जमाबन्दी संवत P.T.O.---	

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2074-77 तक प्रार्थी का नाम एतरा पुत्र मेहा चला आ रहा है, प्रार्थी के द्वारा 44 वर्ष बाद संज्ञान में आना बताया जाने के पश्चात बिना स्पष्ट प्रमाण दिये प्रार्थनापत्र न्यायालय में लगाना जाना तथा वकील द्वारा इस संबंध में बहस में भी कोई प्रमाण नही दिये जाने से तथा पत्रावली या जांच रिपोर्ट में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने तथा इन सभी कारण को मद्देनजर रखते हुए एतरा पिता मेहा के स्थान पर अजीत सिंह पिता मेहा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थनापत्र मे शुद्धि हेतु कोई स्पष्ट प्रमाण नही होने से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली को आज दिनांक-25/03/2026 को फैसल शुमार कर नम्बर से कम किया जावें। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)	